



2026:AHC:161959

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25962 वर्ष 2026

सौरभ

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

बी.एन. सिंह, रमेश कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

बिपिन कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ताकर्ता के अधिवक्ता श्री बिपिन कुमार की दलीलें सुनीं। अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन मुजफ्फर नगर जिले के पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सिकहेड़ा, बी.एन.एस. की धारा 69/308(2) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 50 सन् 2026 में आवेदक को मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए बयानों के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि आवेदक और पीड़िता के बीच काफी समय से आपसी सहमति से संबंध थे। यदि दोनों पक्षों के बीच यह आपसी सहमति से बना यौन संबंध काफी समय तक जारी रहा, तो इसे बी.एन.एस.एस. की धारा 28 के तहत 'तथ्य की गलतफहमी' के अंतर्गत जारी नहीं माना जा सकता और न ही इसे बी.एन.एस.एस. की धारा 69 के तहत 'धोखाधड़ी से यौन संबंध' कहा जा सकता है। आवेदक ने पीड़िता से कभी भी विवाह का वादा नहीं किया था। आवेदक ने पीड़िता का कोई भी अश्लील वीडियो या फोटो वायरल नहीं किया है। अन्वेषण अधिकारी को न तो कोई अश्लील वीडियो मिला है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और न ही पीड़िता की कोई तस्वीर। फिलहाल, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक 8 मई 2026 से जेल में है। जमानत मिलने की स्थिति में वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ताकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे रिकॉर्ड से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। यदि पक्षों के बीच सहमति से बना यौन संबंध काफी समय तक जारी रहा हो, तो उसे बीएनएस की धारा 28 के तहत 'तथ्य की गलतफहमी' के अंतर्गत जारी नहीं माना जा सकता और न ही इसे बीएनएस की धारा 69 के तहत 'धोखाधड़ी के माध्यम से यौन संबंध' कहा जा सकता है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा न तो कोई अश्लील वीडियो और न ही पीड़िता की कोई तस्वीर बरामद की गई है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में दो महीने से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा। मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त मामले में आवेदक - **सौरभ** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
- iii. आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

4 अगस्त, 2026

एस.एस.

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।